प्रेस नोटः–
कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक–25.04.2019

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग–

जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न–भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडीयों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर **40 वाहनों से मु0– 8100 रू0 शमन शुल्क वसूल किया गया। शमन शुल्क को नियमानुसार राजकीय कोष में जमा कराया गया।**

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से **कुल–13 व्यक्तियों को अर्न्तगत धारा–151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।**

01 वारण्टी अभियुक्तो के विरूद्ध पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तो के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थानो द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्तो को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत दिनांक 24.04.2019 को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्र की पुलिस द्वारा तत्परता पूर्वक कार्यवाही करते हुए कुल–01 अभियुक्त को गिरफ्तार कर उनके पास से कुल 20 लीटर कच्ची शराब बरामद की गयी। कार्यवाही का विवरण निम्न प्रकार है–

थाना इटियाथोक द्वारा की गयी कार्यवाही–

01. सतीश कुमार उर्फ नक्के पुत्र कामता प्रसाद नि0 जगतापुर थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0–122/19, धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोपी अपचारी अभियुक्त गिरफ्तार–

जनपद गोण्डा के थाना को0 नगर पुलिस द्वारा नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोपी अपचारी अभियुक्त–दिलीप पुत्र मंशाराम निवासी लक्ष्मणपुर हरवंश थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को थाना को0 नगर पर पंजीकृत मु0अ0सं0–312/19 धारा 376 भा0द0वि0 व 5/6 पाक्सो एक्ट के तहत पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

उक्त अपचारी अभियुक्त पर दिनांक 22.04.19 को थाना को0 नगर क्षेत्र में रहने वाली नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार करने का आरोप है। जिसके सम्बन्ध में पीड़िता के पिता द्वारा दिनांक 23.04.19 को उक्त अपचारी अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पर अभियोग पंजीकृत कराया था। जिसमें आज दिनांक 25.04.19 को निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर यादव द्वारा आरोपी अपचारी अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर बड़गाँव चौराहे से पुलिस अभिरक्षा में लेकर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विवेचनाओं का निस्तारण–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण–दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल– 06 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

बरामदगी–

01. 20 ली0 अवैध कच्ची शराब।